संख्या-116/2018/1258/35-3-2018-1(21)/2016

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
खीरी ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 05 दिसम्बर, 2018**

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत बिलरायां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माणकार्य हेतु तृतीय एवं अतिंम किश्त की वित्तीय स्वीकृति विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह की कहने का निदेश हुआ है जनपद-खीरी के लिये नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 79/2016/1901/35-3-2016-1(21) /2016, दिनांक 07 सितम्बर, 2016 के द्वारा बिलरायां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माणकार्य हेतु रू0 181.77 लाख की प्रशासनिक एंव वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 79/2016/1901/35-3-2016-1(21) /2016, दिनांक 30 अगस्त, 2017 द्वारा बिलरायां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माणकार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

एतददवारा निम्नलिखित कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये उनके लिये अवशेष देय के सापेक्ष तृतीय एवं अतिंम किश्त के रूप में रू. 81.77 लाख(रू.इक्यासी लाख सत्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

(धनराशि लाख रू. मे)

विकासखंड का नाम	क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन	प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही रू. 81.77 लाख की धनराशि	
					केन्द्रांश	राज्यांश
		कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0				
निघासन	1	बिलराया में प्रा0 स्वा0 केन्द्र का भवन निर्माण			181.77	100.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		कुल योग	**181.77**	**100.00**	9.06	72.71
						72.71

1- संदर्भित शासनादेश स0-2016/(21)1-2016-3-35/1901/2016/79, दिनांक 07 सितम्बर, 2016 की शर्ते यथावत लागू रहेगी ।

2- जिलाधिकारी द्वारा तृतीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से चिकित्सा विभाग की परियोजना के कार्य हेतु प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा ।

3- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीध्र उपलब्ध करवाया जायेगा ।

4- कार्य की निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्ध ढंग से स्वीकृत लागत में ही पूरा किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/ड्राईंग एवं तकनीकी स्वीकृति समक्ष स्तर से प्राप्त हेाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुये कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 में लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों के भवन निर्माण/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई- 5-1643/दस-2018 दिनांक 26 नवम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-116/2018/1258(1)/ 35-3-2018-1(21)/2016 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र 0शासन ।
2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0 प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी)इलाहाबाद, उ0प्र0, महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय)इलाहाबाद ।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- संयुक्त निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, खीरी ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5 ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, खीरी ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(**राम केवल**)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।